संख्या– [illegible] / XXIV(6)/2009

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुल सचिव / वित्त अधिकारी,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनॉक: 17 नवम्बर 2009

विषय : कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों तथा शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : के0यू0 / लेखा / 1189 / 09 दिनांक 08.10.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कुमाऊँ विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वर्ष 2008 09 में सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज रू0 1,77,98,489.00 (रू0 एक करोड़ सत्तानवे लाख अठानवे हजार चार सौ नवासी मात्र) की धनराशि जिसका आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन् पुस्तक समायोजन के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खातें में जमा करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अनुदान के व्यय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त राजकीय कोषागार, नैनीताल को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग--1 अध्याय 16–ए. में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

4 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009--2010 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–7 के लेखा शीर्षक–2049–ब्याज अदायगियां 60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 101–जमाओं पर ब्याज (भारित) - 03–कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पीएलए में अवशेष)-00–32–ब्याज / लाभांश के नामें डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 295 (NP)/XXVII(3)/2009 दिनांक 09.नवम्बर 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–347 (1)XXIV(6)/2009–तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) महालेखाकार, उत्तरखण्ड देहरादून।
(2) आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(4) कोषाधिकारी, नैनीताल।
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
(6) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
(7) निजी सचिव, मा0मुख्यमन्त्री।
(8) वित्त अनु–3./नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन/वित्त अनुभाग - 1
(9) बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
(10) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव